

1136

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0-4 / आ0वि0(संघा)-01-01 / 2017-

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

141
29.03.17


विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा, 0011- "छात्रवृत्तियां और वृत्तियां" विपत्र कोड- N2225012770011 के 3302-मुआवजा ईकाई में ₹10,00,00,000 /--(दस करोड़ रू0) के उपबंधित राशि में से संभावित बचत राशि से मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा, 0003-आवासीय विद्यालय" विपत्र कोड- N2225012770003" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 2801-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं इकाई, में ₹50,00,000 /--(पच्चास लाख रूपये), 1401-किराया महसूल एवं कर में ₹25,00,000 /--(पच्चीस लाख रूपये), अर्थात् कुल ₹75,00,000 /--(पचहत्तर लाख रूपये) मात्र का पुनर्विनियोग कर उपबंध के स्वीकृति का प्रस्ताव ।

आदेश- स्वीकृत ।


2- बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के अनुसार मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277- शिक्षा, 0003-आवासीय विद्यालय" विपत्र कोड- N2225012770003" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 2801-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं इकाई, में ₹50,00,000 /--(पच्चास लाख रूपये), 1401-किराया महसूल एवं कर में ₹25,00,000 /--(पच्चीस लाख रूपये), अर्थात् कुल ₹75,00,000 /-- (पचहत्तर लाख रूपये) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है । पुनर्विनियोग राशि का प्रस्ताव निदेशालय स्तर एवं क्षेत्रीय कल्याण कार्यालयों के मॉग के आधार पर की गयी है ।

- 3- प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।
- 4- प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।
- 5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपनिदेशक(मुख्यालय), अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, होंगे ।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(प्रेम सिंह भीष्णा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- सं0सं0-4 / आ0वि0(संघा)-01-01 / 2017- 141 पटना, दिनांक- 29.03.17
प्रतिलिपि:- अनुसूची के तीन प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- सं0सं0-4 / आ0वि0(संघा)-01-01 / 2017- 141 पटना, दिनांक- 29.03.17
प्रतिलिपि:- अनुसूची के प्रतियों के साथ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, उपनिदेशक, कल्याण(मुख्यालय), संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, प्रगारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा (8डी0) / सांख्यिकी कोषांग अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव ।